तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 06/2023 लीला वगै. बनाम तुलछाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

उपस्थिति दिनांक 08.06.2023

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह शेखावत, श्री हनीफ खां
2. विप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 06.04.2022 को अपीलांट अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण श्रीमान न्यायालय में पैरवी हेतु हाजिर नहीं हो सके प्रत्येक मामले को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए तथा प्रतयेक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। उक्त प्रकरण पिछली पेशी पर ही हाजा न्यायायल द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पै. रवी में खारिज किया गया है तथा जिसका न्यायहित में सुना जाना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। न्यायालय द्वारा अपीलांटस को बार बार सूचना देने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांटस की वजह से रेस्पोडेंटस को बार बार बाड़मेर मुख्यालय पर पेशी पर आना पड़ा लेकिन अपीलांटस हाजिर नहीं हुए। अपीलांटस को किसी भी प्रकार का अवसर दिया जाना उचित नहीं है। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 08.06.2023 को सुनाया गया।

(प्रियंका पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर